राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
207 / 2023	30.05.2023	23.06.2025

उनवानः

1. पवन कुमार पुत्र पन्नालाल जाति अहीर निवासी सलारपुर तह0 नीमरना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....वादी

बनाम

1. छीतरमल पुत्र प्रभाती जाति अहीर
2. अतरसिंह दत्तक पुत्र श्रीराम जाति अहीर
3. जयसिह पुत्र हजारी जाति अहीर
4. दिनेश पुत्र प्रभाती जाति अहीर
5. बिशम्बर पुत्र महाराम जाति अहीर
6. महेन्द्र पुत्र हजारी जाति अहीर
7. राजसिंह पुत्र प्रभाती जाति अहीर
8. लक्ष्मी देवी पत्नी भूपसिंह जाति अहीर सभी निवासी ग्राम नाघोडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
9. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ....प्रतिवादीगण

दावा तकरीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री विजयसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 1 से 8 की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1331रकबा 50 है0, 1348 रकबाा 0.27 है0, 1349 रकबा 0.59 है0, 1350 रकबा 0.60 है0, वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना मे स्थित है जिसका मिन वादी हिस्सा 14 / 195 का खातेदार दर्ज रिकार्ड हूँ तथा शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 है। आराजी मुतनाजा मिन वादी व प्रतिवादीगण के बीच बिना बटी हुई आराजी है जिसका प्रतिवादीगण बिना विधिवत रूप से तकासामा करवाये ही अच्छी से अच्छी आराजी जो अधिक कीमत वाली है, पर जवरन कब्जा कर उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करना चाहते है। काफी समझाने पर भी नही मान रहे है। इसलिए आराजी मुतनाजा मे मिन वादी के खातेदार हिस्से को कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर तकसीम किया जाकर उसका खातेदार मिन वादी को घोषित किया जावे तथा शेष हिस्से का कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर तकासामा किया जाकर उसका खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लग0 8 को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये ।

प्रतिवादी सं0 1 लगा. 8 वाद तामिल जरिये अधिवक्ता श्री विजयसिंह चौहान के न्यायालय मे उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र के सभी तथ्यो को गलत बताते हुऐ जवाब दावा पेश किया गया कि वादी ने गलत तथ्यो के आधार पर दावा पेश किया गया है तथा आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है। लेकिन वादी

उपखण्ड अधिकारी

यह दावा मे अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के हिसाब से बंटवारा चाहा है। जो गलत है इसलिए वादी के वाद पत्र को मय खर्चा खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई है।

तत्पश्चात वकील वादी ने आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से बंटवारा के लिए दावा को प्रारम्भिक डिक्री किया जाने का निवेदन किया जाने पर , पत्रावली का अवलोकन किया गया दावा तकसीम आराजी को होने के कारण कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक होती है। इसलिए न्याय हित मे वादी के वाद पत्र को दिनांक 04.12.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर,तहसीलदार मॉढण को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो संबंधि राजस्व भाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2024 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.12.2024 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 1331रकबा 50 है0, 1348 रकबाा 0.27 है0, 1349 रकबा 0.59 है0, 1350 रकबा 0.60 है0, वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 22.05.2025 को तैयार करवाकर दिनांक 27.05.2025 को इस न्यायालय मे पेश की गई । उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 28.02.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	पवन कुमार पुत्र पन्नालाल जाति अहीर सा0 सलारपुर खातेदार हि0 सम्पूर्ण	1331/1	0.14
		कुल किता–1 कुल रकबा 0.14 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	अतरसिंह पुत्र मु. श्रीराम हि0 3921/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार राहिन हि0 वी0ओ0वी0 शाखा नीमराना	1331/2	0.26
2.	छीतरमल पुत्र प्रभाती हि0 1308/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार	1331/3	0.10
3.	जयसिंह पुत्र हजारी हि0 1961/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार	1348	0.27
4.	दिनेश पुत्र प्रभाती हि0 1308/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार	1349	0.59
5.	विशम्बर पुत्र महाराम हि0 3921/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार	1350	0.60
6.	महेन्द्र पुत्र हजारी हि0 1961/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार		
7.	राजसिंह पुत्र प्रभाती हि0 1308/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार		
8.	लक्ष्मी देवी पतनी भूपसिंह हि0 2512/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार		
		कुल किता–5 कुल रकबा 1.82 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

बन्दोबस्तानुसार हो [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में पृथक-पृथक खाता व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किये जाने एवं [illegible] [illegible] में, सुधै रिपोर्ट में दर्शित नक्शा के मुताबिक [illegible] करने के आदेश दिये जाते हैं। सुधै रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा मद, [illegible] अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार दर्ज किये जाते हैं। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
207/2023	30.05.2023	23.06.2025

उनवान:

1. पवन कुमार पुत्र पन्नालाल जाति अहीर निवासी सलारपुर तह0 नीमरना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....वादी

बनाम

1. छीतरमल पुत्र प्रभाती जाति अहीर
2. अतरसिंह दत्तक पुत्र श्रीराम जाति अहीर
3. जयसिह पुत्र हजारी जाति अहीर
4. दिनेश पुत्र प्रभाती जाति अहीर
5. बिशम्बर पुत्र महाराम जाति अहीर
6. महेन्द्र पुत्र हजारी जाति अहीर
7. राजसिंह पुत्र प्रभाती जाति अहीर
8. लक्ष्मी देवी पत्नी भूपसिंह जाति अहीर सभी निवासी ग्राम नाघोडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
9. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ....प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री विजयसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 1 से 8 की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 28.02.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	पवन कुमार पुत्र पन्नालाल जाति अहीर सा0 सलारपुर खातेदार हि0 सम्पूर्ण	1331/1	0.14
		कुल किता–1 कुल रकबा 0.14 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	अतरसिंह पुत्र मु. श्रीराम हि0 3921/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार राहिन हि0 बी0ओ0बी0 शाखा नीमराना	1331/2	0.26
2.	छीतरमल पुत्र प्रभाती हि0 1308/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार	1331/3	0.10
3.	जयसिंह पुत्र हजारी हि0 1961/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार	1348	0.27
4.	दिनेश पुत्र प्रभाती हि0 1308/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार	1349	0.59
5.	बिशम्बर पुत्र महाराम हि0 3921/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार	1350	0.60
6	महेन्द्र पुत्र हजारी हि0 1961/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार		
7.	राजसिंह पुत्र प्रभाती हि0 1308/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार		
8.	लक्ष्मी देवी पतनी भूपसिंह हि0 2512/18200 अहीर सा0 नाघोडी खातेदार		
		कुल किता–5 कुल रकबा 1.82 है0	

उपखण्ड अधिकारी

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक-पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्मा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना-अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन ([illegible]) [illegible]